न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —114/2019

अनवान : —

1. बलवानसिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
2. दर्शना पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
3. एसबीआई (एसबीबीजे) भादरा जरिये शाखा प्रबधक।

:—प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री धर्मपाल बेरवाल वकील —वादी
श्री सतबीर बेनीवाल वकील— प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक:— 28/01/202

सक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएल के खाता संख्या 164/145 के मु.न. 2 के किला नं. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24 कुल किता 20 की 5.060 हैक्टर व मु.न. 28 के किला नं. 1 ता 4, 8 ता 13 कुल किता 9 की 2.252 हैक्टर, कुल किता 29 की 7.312 हैक्टर बारानी कृषि भूमि स्थित है जिसमें केसराराम का 1/2 हिस्सा व चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 193/179 के मु.न. 118 के किला नं. 6 ता 8, 13 ता 18, 22 ता 25 कुल किता 13 की 3.289 हैक्टर, मु.न. 119 के किला न. 11 ता 25 कुल किता 15 की 3.795 हैक्टर, मु.न. 125 के किला नं. 1 ता 10, 13 कुल किता 11 की 2.783 हैक्टर, मु.न. 127 के किला नं. 2 ता 9, कुल किता 8 की 2.024 हैक्टर कुल किता 47 की 11.891 हैक्टर जिसमें गैर मु. रास्ता 0.039 हैक्टर, बारानी 11.852 हैक्टर स्थित है जिसमें केसराराम का 235 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खाता संख्या 26/22 के मु.न. 122 के किला नं. 5,6, 14 ता 17, 24, 25 कुल किता 8 की 2.024 हैक्टर

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

खातेदारी काश्तकारी भूमि वादी के दादा केसरा वल्द बेगा की हुआ करती थी। सत्यप्रति जमाबंदियात संम्वत 2062–65 संलग्न अर्जीदावा है।

वादी के मौरूशाला श्री केसाराराम की मृत्यु आज से 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है। उनके नाम दर्ज आराजी कर्ता खानदान होने के कारण उनके पुत्रों देवीलाल व प्रतापसिंह के नाम औद हो गई जो चक 6 जेएसएल के खाता संख्या 24/16 के मु.न. 2 के किला नं. 1 ता 4, ता 14, 17 ता 24 कुल किता 20 की 5.060 हैक्टर व मु.न. 28 के किला नं. 1 ता 4 8 ता 13 कुल किता 9 की 2.252 हैक्टर कुल किता 29 की 7.312 हैक्टर बारानी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 देवीलाल के नाम 0.914 हैक्टर दर्ज है। चक 45 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 24/24 के मु.न. 118 के किला नं. 6 ता 8, 13 ता 18, 22 ता 25 कुल किता 13 की 3.289 हैक्टर, गैर.म.रास्ता 0.039 हैक्टर, मु.न. 119 के किला नं. 11 ता 25 कुल किता 15 की 3.795 हैक्टर, मु.न. 126 के किला नं. 1 ता 10, 13 कुल किता 11 की 2.783 हैक्टर, मु.न. 127 के किला नं. 2 ता 9, कुल किता 8 की 2.024 हैक्टर, कुल किता 47 की 11.891 हैक्टर जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 देवीलाल के नाम 235–1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा खाता संख्या 77/86 के मु.न. 122 के किला नं. 5, 6, 14 ता 17, 24, 25 कुल किता 8 की 2.024 हैक्टर जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 देवीलाल के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त भूमि वादी के दादा केसराराम की हुआ करती थी। जिसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं. 1 देवीलाल व उसके भाईयों प्रतापसिह के नाम से कर्ता खानदान होने के कारण ओद हो गई है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 देवीलाल का केसराराम की सम्पूर्ण भूमि में 1/2 हिस्सा दर्ज हैनकल जमाबंदी सम्वत 2073–77 संलग्न अर्जीदावा है। यही बिनाय दावा है।

ऐसे स्थिति में वादी न्यायालय से यह घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है कि वादभूमि रोही मौजा 6 जेएसएल के खाता संख्या 24/16 की कुल किता 29 की 7.312 हैक्टर बारानी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 देवीलाल के नाम 0.914 हैक्टर दर्ज है। चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 24/24 की कुल किता 47 की 11.891 हैक्टर जिसमें गैर मु. रास्ता 0.039 हैक्टर, बारानी 11.852 हैक्टर स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 देवीलाल के नाम 235 हिस्सा में 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा खाता संख्या 77/86 की कुल किता 8 की 2.024 हैक्टर जिसमे प्रतिवादी सं. देवीलाल के नाम 1/2

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के वादी व प्रतिवादी सं. 1 खातेदार काश्तकार है, उक्त आराजी में से देवीलाल का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी देवीलाल दोनों के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादी सं0 1 व 2 तथा वादी ने अपना राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया तथा वकील वादी ने प्रतिवादी सं. 3 को तर्क किया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का राजीनामा पेश होने पर तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही समझी गई। वकील वादी ने साक्ष्यवादी में वादी बलवानसिह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गढीछानी प्रदर्श–1, जमाबंदी चक 4 जेजीडब्ल्यू खाता संख्या 193/179 सम्वत 2062–65 प्रदर्श–2, चक 4 जेजीडब्ल्यू खाता संख्या 26/22 सम्वत 2062–65 प्रदर्श–3, जमाबंदी चक 6 जेएसएल सम्वत 2073–76 खाता संख्या 24/16 प्रदर्श–4, चक 4 जेजीडब्ल्यू खाता संख्या 24/24 सम्वत 2074–77 प्रदर्श–5, चक 4 जेजीडब्ल्यू खाता संख्या77/86 प्रदर्श–6 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मौजा 6 जेएसएल के खाता संख्या 24/16 की कुल किता 29 की 7.312 हैक्टर बारानी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 देवीलाल के नाम 0.914 हैक्टर दर्ज है। चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 24/24 की कुल किता 47 की 11.891 हैक्टर जिसमें गैर मु. रास्ता 0.039 हैक्टर, बारानी 11.852 हैक्टर स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 देवीलाल के नाम 235 हिस्सा में 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा खाला संख्या 77/86 की कुल किता 8 की 2.024 हैक्टर जिसमे प्रतिवादी सं. देवीलाल के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के वादी व प्रतिवादी सं. 1 खातेदार काश्तकार है, उक्त आराजी में से देवीलाल का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी देवीलाल दोनों के नाम बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

अतः वाद वादी साबित होने पर मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती रोही मौजा 6 जेएसएल के खाता संख्या 24/16 की कुल किता 29 की 7.312 हैक्टर बारानी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 देवीलाल के नाम 0.914 हैक्टर दर्ज है। चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 24/24 की कुल किता 47 की 11.891 हैक्टर जिसमें गैर मु. रास्ता 0.039 हैक्टर, बारानी 11.852 हैक्टर स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 देवीलाल के नाम 235 हिस्सा में 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा खाता संख्या 77/86 की कुल किता 8 की 2.024 हैक्टर जिसमे प्रतिवादी सं. देवीलाल के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के वादी व प्रतिवादी सं. 1 खातेदार काश्तकार है, उक्त आराजी में से देवीलाल का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी देवीलाल के नाम दर्ज हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 दोनों के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार अर्थात वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक 1/2—1/2 हिस्सा का .खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। चुंकि प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी 1 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राज.) R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –114/2019

अनवान : –

1. बलवानसिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।

:–वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
2. दर्शना पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
3. एसबीआई (एसबीबीजे) भादरा जरिये शाखा प्रबधक।

:–प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वाद वादी साबित होने पर मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती रोही मौजा 6 जेएसएल के खाता संख्या 24/16 की कुल किता 29 की 7.312 हैक्टर बारानी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 देवीलाल के नाम 0.914 हैक्टर दर्ज है। चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 24/24 की कुल किता 47 की 11.891 हैक्टर जिसमें गैर मु. रास्ता 0.039 हैक्टर, बारानी 11.852 हैक्टर स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 देवीलाल के नाम 235 हिस्सा में 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा खाता संख्या 77/86 की कुल किता 8 की 2.024 हैक्टर जिसमे प्रतिवादी सं. देवीलाल के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के वादी व प्रतिवादी सं. 1 खातेदार काश्तकार है, उक्त आराजी में से देवीलाल का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी देवीलाल के नाम दर्ज हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 दोनों के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार अर्थात वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक 1/2–1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। चुंकि प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी 1 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/01/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

(मुकेश बारेठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.19 14:45:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: